210

न्यायालय रेवन्यू बोर्ड, ग्वालियर (सागर

रज्जू पिता हल्के अहिरवार, उम्र 75 वर्ष
निवासी : शिवाजी वार्ड, बीना, तह.बीना, जिला–सागर म.प्र. .....अपीलार्थी या चौकसी

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

.....प्रति अपीलर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 44 म.प्र. राज्य सहित प्रथम अपील रा.प्र.क्र. 62 अ /59 वर्ष 2014–15 से आदेश होकर 3/9/2015 माननी न्यायालय में सबल आधारों पर यह द्वितीय अपील पेश है।

:: अपील के आधार ::

1) यह कि अपीलर्थी रज्जू के स्वर्गीय पिता श्री हल्का उर्फ हरलाल को मालगुजारी शासन के कोटवार की सेवा उपरान्त खसरा नं. पुराना 241/2, 242/2, 243/2, 243/3 से नया नम्बर 173/1 निर्मित किया गया। अपीलर्थी के पिता का स्वर्गवास उनके नावालिग उपरान्त हो गया। शासन अपीलर्थी को बिना सुने उक्त भूमि छोटा घास दर्ज कर दी, जबकि उक्त भूमि बी–1, वर्ष 1954, 55 में हरलाल के नाम से दर्ज चली आ रही है।

2) यह कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय श्री कमिश्नर महोदय ने उक्त बी–1, वर्ष 1954–55 की कोई भी अहमियत नहीं समझी और न ही माननीय तहसीलदार महोदय बीना तथा अनुविभागीय अधिकारी महोदय बीना से कोई भी जाँच प्रतिवेदन बुलाया नहीं गया। इसलिए माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 3/9/15 स्थिर रहने योग्य नहीं है।

3) यह कि कोटवार भूमि शासन सेवा भाव के प्रदान की थी और अपीलार्थी के पिता का नाम दर्ज था, जिसे भूमि स्वामी के अधिकार प्राप्त हो चुके थे।

4) यह कि अपीलर्थी ने प्रथम अपील माननीय कमिश्नर महोदय सागर के यहाँ पेश की थी, उसमें दिनांक 14/7/1951, 19/6/1951, 14/7/51, 15/5/51, 19/12/52, 19/7/52, 16/7/52, 21/6/52, 30/6/52, 18/7/51 विक्रय पत्र पेश किये थे। लेकिन माननीय कमिश्नर महोदय आदेश दिनांक 31/9/2015 को उक्त फैसले में उन बैनामों का कोई भी जिक्र नहीं किया। इसलिए इसका आदेश दिनांक 3/9/2015 स्थिर रहने योग्य नहीं है।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 425/II/16 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29/3/16	प्रकरण में सुनवाई एवं नस्ती के परिशीलन के आधार पर मैं निम्न प्रमुख बिन्दु टीप एवं विचार योग्य पाता हूँ : (क) वाद भूमि ख. न. 173/1, ग्राम बीना को, विधिवत इश्तहार प्रकाशन और आपत्तियों हेतु अवसर उपरान्त, छोटे घास मद से आबादी मद में परिवर्तित किया गया है। आवेदक द्वारा उस समय आपत्ती नहीं की गई। (ख) अपर कलेक्टर के आदेश दि. 2.6.7 के आठ वर्ष बाद आवेदक ने अपर आयुक्त के समक्ष अपील की। (ग) अपर आयुक्त का आक्षेपित आदेश दि. 3-9-15 स्पष्ट एवं बोलते स्वरूप का है। (घ) आवेदक का कहना है कि वाद भूमि उसके पिता को कोटवार होने के नाते, सेवाभूमि के तौर पर मिली थी। उसके पिता की वर्ष 1956-57 में मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद आवेदक का	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	वाद भूमि पर अधिकार क्यों है, इस संबंध में उसने कुछ स्पष्ट नहीं किया है। उपरोक्त बिन्दुओं के प्रकाश में मैं इस निगरानी आवेदन को ग्राह्य मानने के पर्याप्त आधार नहीं पाता हूँ और अपर आयुक्त के आक्षेपित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पाता हूँ। अतः निगरानी अग्राह्य की जाती है। आदेश पारित। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण समाप्त। दा० द० हो। (सदस्य)	